तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-1-21	अपीलांट उप. वकील उप. इस्तगासा प्रस्तुत दर्ज रजि. किया जावे। रेस्पोंडेन्ट की तलबी बाबत नोटिस जारी हो। पत्रावली दि. 15-2-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)	
15-2-21	वकील अपीलांट उप. पत्रावली प्रस्तुत दि. 25-2-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/2/21	वकील अपीलांट उप०। रेस्पोंडेन्ट की तलबी हेतु नोटिस तलवाना पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दि० 12/3/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12.3.21	वकील अपीलांट उप०। रेस्पोंडेन्ट सूचना के बावजूद अनुपस्थित। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15/03/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
15/3/21	वकील अपीलांट उप०। बहस अपील सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील अंतर्गत धारा 75 LR Act इस आशय कि पेश की है कि अपील में वर्णित आराजी का 1/2 हिस्से का अपीलांट रिकार्ड खातेदार है। अपीलांट का सही नाम अल्लादीन है। परंतु रैस्पोडेन्ट द्वारा विरासत का	

इनीशियल्स जज

नामांतरण दर्ज करते समय सुफेदा के वारिसात की नाम की जांच पड़ताल किये बिना नामांतरण सं- 541 में अपीलांट का नाम अली मोहम्मद दर्ज कर दिया है जो कि गलत है। अत: अपीलांट का नाम अली मोहम्मद के स्थान पर अल्लादीन दर्ज किया जावे।

वकील अपीलांट बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड में अपीलांट का नाम अल्लादीन पुत्र सफेदा दर्ज है जबकि नामांतरण सं- 541 में अली मोहम्मद पुत्र सफेदा दर्ज है। अपीलांट ने इसके अलावा कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नही कराया है। ग्राम पंचायत पापड़ा ने भी विरासत के नाम दर्ज करते समय कोई जांच नही की है। अत: नामांतरण सं- 541 दिनांक 2.4.17 खारिज योग्य है। नामांतरण सं- 541 खारिज किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार पहाड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वो उभय-पक्षकारान को सुनकर पुनः गुणावगुण के आधार पर विरासत का नामांतरण दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा० द० हो।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)